

// निर्णय //
(आज दिनांक ..11..... / 10 / 2022... को पारित किया गया)

अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें धारा 13 जुआ एक्ट के तहत दोषी पाया जाकर प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100-100 रु० (..... रूपये) कुल राशि 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर अभियुक्त को 2 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति पेश ताश के 52 पत्ते मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे तथा नगद राशि 1650 रु० (..... रूपये) राजसात किये जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा जिससे जप्त हुये हो उसे वापस लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

निर्णय मेरे निर्देशन पर टंकित।

(आकांक्षा टेकरामे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
मुलताई



(आकांक्षा टेकरामे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
मुलताई